सं. क-27016/03/2017-स्था.(भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ब्लॉक-IV, ओल्ड जेएनयू कैम्पस

नई दिल्ली - 110067

दिनांक : 19 जून, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : समयोपरि भत्ते पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर कार्यान्वयन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय विभाग के दिनांक 06.07.2017 के संकल्प सं. 11-1/2016-आईसी के अनुसार समयोपरि भत्ते पर सरकार का निम्नलिखित निर्णय है :- "मंत्रालय/विभाग 'प्रचालन स्टाफ' की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करेगें। समयोपरि भत्ते की दरें बढ़ाई नहीं गई हैं"

2. इसके अतिरिक्त व्यय विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पिछले वर्षों में वेतन में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रचालन स्टाफ और औद्योगिक कर्मचारियों, जो सांविधिक प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं, से इतर अन्य श्रेणियों के समयोपरि भत्ते को समाप्त करने की सिफारिशों को स्वीकार किया जाए।

3. तदनुसार, समयोपरि भत्ते के संबंध में सरकार के उपरोक्त निर्णय को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। प्रचालन स्टाफ को परिभाषित करने की परिभाषा निम्नलिखित होगी।

"केन्द्र सरकार के सभी गैर लिपिकीय अराजपत्रित सेवक जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल यंत्र के प्रचालन सहित कार्यालय के निर्बाध प्रचालन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं"

4. मंत्रालयों/विभागों का संबंधित प्रशासन विंग किसी स्टाफ की श्रेणी विशेष को प्रचालन स्टाफ की सूची में शामिल करने के लिए उपरोक्त प्राचलों के आधार पर संबंधित मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशा.) एवं वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से पूर्णतः औचित्य सहित प्रचालन स्टाफ की एक सूची तैयार करेगा।

5. समयोपरि भत्ता, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बायोमैट्रिक उपस्थिति से जोड़ा जाएगा।

क) समयोपरि भत्ते का भुगतान उसी स्थिति में किया जाएगा जब वरिष्ठ अधिकारी ने संबंधित कर्मचारी को तात्कालिक प्रकृति के कार्य को निपटाने के लिए कार्यालय में रूकने के लिखित रूप में निदेश दिया हो।

ख) समयोपरि भत्ते की गणना बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर की जाएगी।

ग) स्टाफ कार चालकों के लिए समयोपरि भत्ता बायोमैट्रिक प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर नियत पार्किंग स्थल कार्यालय भवन में ही आबंटित किया जाता है। तथापि ऐसे मामलों में जहां पार्किंग स्थल कार्यालय से दूर उपलब्ध करवाया गया हो तो स्टाफ कार चालक कार्यालय छोड़ते समय अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा/करेगी और अधिकारी को छोड़ने और पार्किंग स्थल पहुँचने के समय सहित कार्यालय छोड़ने के बाद दूरी के लिए अधिक से अधिक 2 घंटे की छूट दी जाएगी। वैसे मामलों में संबंधित अधिकारी द्वारा भलीभाँति सत्यापित किए गए लॉग बुकों से गणना की जा सकती है।

घ) फील्ड कार्मिकों के समयोपरि भत्ते की गणना बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि ऐसे कार्मिकों को फील्ड कार्य के लिए सरकारी परिवहन की सुविधा दी जाती है। ऐसे अधिकारियों से फील्ड में जाने से पूर्व कार्यालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे मामलों में जहां पदाधिकारियों से निवास स्थान से ही फील्ड कार्य के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है उन्हें परिवहन भत्ते के एवज में घर से ही सरकारी परिवहन की सुविधा दी जा सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भलीभाँति सत्यापित किए जाने पर उस वाहन की लॉग बुक के आधार पर समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है।"

6. चूंकि, सरकार ने समयोपरि भत्ते की दरों में संशोधन करने का निर्णय नहीं लिया है, इसलिए कार्यालय स्टाफ, स्टाफ कार चालक, प्रचालन स्टाफ के लिए इस विभाग के दिनांक 19 मार्च, 1991 के कार्यालय ज्ञापन की निर्धारित दरें, उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, जारी रहेंगी।

7. इस कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण की सीमा को छोड़कर सभी मौजूदा अनुदेश लागू रहेगें।

8. उपरोक्त अनुदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

9. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं।

19/6/18

(प्रमोद कुमार जायसवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. एनआईसी, इस कार्यालय ज्ञापन को डीओपीटी की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।